

(नियम ४ देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग १ या भाग २ इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक
अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम.....

इनका डाक पता.....

इनका नाम..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..... (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की
निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या..... पर प्रविष्टि है।

मैं..... है जो..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग.....
क्रम संख्या..... पर प्रविष्टि है।

ट्रिनिंगक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद द्वारा 33, मुख्यमंत्री

में नाम नोटिस करते हैं।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक रामा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप

अभ्यर्थी का नाम ललन रूप भाटी
पिता/माता/प्रति का नाम स्त. रूप भाटी पाठ्य
उसका डाक पता इल 26, स/3, स्टार्ट हाउस, ब्रिस्टल सिटी, एंडरविल वे, वर्सिटी (ए.)
24/3 - 4991208, महाराष्ट्र
उसका नाम 133 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वरीय

(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं. 207 क्रम संख्या 579 पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	राजपुर 202	66	356	प्रभाकर पाठक	प्रभाकर पाठक	24-3-14
2	राजपुर 202	66	297	नंदगी प्रसाद	नंदगी प्रसाद	24-3-14
3	राजपुर 202	78	259	अंगेश कुमार	अंगेश कुमार	24/3/14
4	राजपुर 202	105	1096	नेमनाथ सिंह	नेमनाथ सिंह	24/3/14
5	राजपुर 202	105	1258	जयतिकुमार सिंह	जयतिकुमार सिंह	24/3/14
6	राजपुर 202	238	708	महेन्द्र पाठक	महेन्द्र पाठक	24/3/14
7	राजपुर 202	280	609	रमेन्द्र सिंह	रमेन्द्र सिंह	24-3-14
8	रामगढ़ 203	146	281	रमनंद तिवारी	रमनंद तिवारी	24-3-2014
9	रामगढ़ 203	146	304	मिथिलाल तिवारी	मिथिलाल तिवारी	24/3-2014
10	राजपुर 202	78	76	आलोक राम कुमार	आलोक राम कुमार	24/3/14

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग - III

मैं भाग I / भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हैं तथा एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने १० वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं इस निर्वाचन में निर्दलीय दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) नारियल (ii) छत्तेंग (iii) टलिक्कियन

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी में (भाषा का नाम) सही है।


(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लायून्डी जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो.....

उस राज्य में के (क्षेत्र) लायून्डी से संबंधित अनुसूचित.....

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले "सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।



दिनांक २५/३/२०१४

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीपुर की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीचढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीपुर के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या
(ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हैं / नहीं

- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. २०८५
- (ii) पुलिस स्टेशन जिला (ज़िले) मुरादाबाद राज्य उत्तर प्रदेश
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था २०८५
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) २०८५
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था २०८५
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा / या जुर्माने की राशि उपदर्शित २०८५
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) २०८५
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थीं लालूगढ़ी दौलत
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख लालूगढ़ी दौलत
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया लालूगढ़ी दौलत
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं लालूगढ़ी दौलत
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लालूगढ़ी दौलत
(ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) लालूगढ़ी दौलत

दिनांक 24/3/2014
स्थान लालूगढ़ी दौलत

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या २०/HP/२०१४/R०.....यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में
२५.३.२०१४....(तारीख) को १०.१५.५५.....बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक २५.३.२०१४
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।



२५.३.१४
रमण कुमार रिटर्निंग ऑफिसर
निवाची पदाधिकारी,
३३-इलाहाबाद संसदीय निवाचन क्षेत्र

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय
→ व्योक्त प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
... अनुसार संसदीय निवाचन क्षेत्र में विनिश्चय करता हूँ :—

दिनांक
(छिद्रण)

रिटर्निंग ऑफिसर



Mr/Mrs...
Who is identified by Sri...
Advocate solemnly affirmed
and Declared before me
on 26/3/16

NO..... DATE..... TIME.....

ANIL BIHARI
NOTARY Dist - Buxar India

33, कवयर संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर

एवं आक्षम अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं लल्ला राधायेठापड़ु^{*}** पुत्र/पुत्री/पत्नी स्क. रुपनशायण पाठ्य
क्रि. २६, रु०३, लाइक्पा, रावसाहीनसिली, राष्ट्रीयपुर, बसहराड (झ.)
२०००-५०१२०८ (महाराष्ट्र)।


(डाक का
लिखें) का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :—

(1) मैं राज सतती (** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया
अभ्यर्थी / ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(i) लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम कर्मज लियाव रामा, महाराष्ट्र (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 207
के क्रम सं० ५७९ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० ९५६६१८५६७७ है / हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
drpathak44@rediffmail.com है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि हैं तो) नहीं
हैं।



स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्तिः

फ्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं	ACKPP0728Q	2013-14	98,84738.76
2	पति या पत्नी	25-25	25-25	25-25
3	आश्रित-1	25-25	25-25	25-25
4	आश्रित-2	25-25	25-25	25-25
5	आश्रित-3	25-25	25-25	25-25

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्ति है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :—

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	25-25
	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	25-25
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	25-25
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	25-25
(ङ.)	तारीख (तारीख) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	25-25
(च)	क्या (क्या) कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	25-25

INDIA BUREAU

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/ हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
 {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३०/०५
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	३०/०५
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	३०/०५


(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	३०/०५
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	३०/०५
(ग)	अधिरोपित दंड	३०/०५
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथ्ति	३०/०५

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :



जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	5.20 लाख	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1,22,700	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	3 लाख	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	2,57,000	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणिकों से अन्य प्राप्य रूपया	ANIL BHU 14/5/14	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य	शुभ्य



(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक. रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	MHOL 610 ३००२१ संख्या 7.5 लाख	शुद्ध	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(vii)	जेवरात ब्लिंडन और मूल्यवान वरतु (वर्तुए) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	३.८० लाख संख्या 10.5 लाख	शुद्ध	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1800000	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।


क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	खाता १४५ कपासियों २.१० लाख १२.५० लाख	खाता १४५ कपासियों ३५ डिस्ट्रिब्युले २.५ लाख	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	२.१० एकड़	३५ डिस्ट्रिब्युले	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1995	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	६ लाख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क



24/11/2014

BUXAR

	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	पू. ।।	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	वणिजिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1995	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	6 लाख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25 लाख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	7300 एकड़ी	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	445 एकड़ी 285 एकड़ी	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1995	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	6 लाख	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य



(vi)

पूर्वोक्त (i) से (v) का
कुल चालू बाजार मूल्य

37.50/एवं 20.5 लाख

₹ 20.5

₹ 20.5

₹ 20.5

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :— कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	आय-कर शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	धनकर शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सेवाकर शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	विक्रयकर शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	कोई अन्य शोध्य	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
(iii)	सभी सरकारी शम्भु	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

20/अप्रृ

20/अप्रृ

	का कुल योग	नहीं	अ॒य	अ॑न्दर	अ॒न्तर्म्	अ॑न्तर्म्
iv	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्दलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	शुभ्य	अ॑न्दर	शुभ्य	अ॑न्दर

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

स्वयं

लालू अहीं देता

(10) मेरी शैक्षिक आहता नीचे दिए अनुसार है-

इस्कूल: प्राथमिक स्तर, पठा वर्ष 1959

उच्चस्तीड़िय: मुमो फाउंड वर्ष 1963

पी.ए.: प्राथमिक स्तर, वर्ष 1971

एम.ए.: प्राथमिक स्तर, वर्ष 1973, पी.ए.डी.आणा इंडिया

दल-स्लॉम: मुमो इन्डिया इंडिया वर्ष 1999
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रूफ का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमार ललन रायपा पांडी
2	डाक का पता	इ.सी.टी.ए/3, लाइन्पा स्कूल इंडिया, गोखीनगर, नासिरगढ़ (रुपी), घाटा 402008 अस्सीकुला: श्री. कृष्णगण, दो. कृष्णपाली-वैष्णवी निकट नासिरगढ़, गोपनीया 23/107
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	133, वसई विधान सभा राज्य: महाराष्ट्र
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	कोई नहीं
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया (लोक अधीनस्त अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपक्रम) (i) उपधारा (2) धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं	नहीं



		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
(क) अम्यर्थी		nckpp 0728Q	2013-14	9834738.76
(ख) पति या पत्नी		शून्य	शून्य	शून्य
(ग) आश्रित		शून्य	शून्य	शून्य

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	37.5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां						
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	32.5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत						
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	31 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	12.5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व						
i	सरकारी शोध्य (कुल)	७८	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक, क्रेडिट संस्थाओं और अन्य	८८	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



BUXAR *

१११४

	से ऋण (कुल)					
(i)	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

उच्चतम शैक्षिक अर्हता : मैट्रिक्स . बिहार विद्यालय परीक्षा एग्जामिनेशन, पट्टना वर्ष 1959

इंडिपॉर्टेड इंजिनियर : इ.पी. कोई, वर्ष 1963

वी.ए : पुणे इंजीनियरिंग, पुणे वर्ष 1971

एम० ए० : पुणे इंजीनियरिंग, पुणे, वर्ष 1973

एम० एंजी.ई. : आगरा इंजीनियरिंग, आगरा, वर्ष 1979

एम० प्र० ए० : मुम्बई इंजीनियरिंग, मुम्बई, वर्ष 1999

प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई मेथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्प्रिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ।

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

तारीख 24/3/2014 को सत्यापित किया गया।

9 identity deponent sn

अभिसाक्षी

Mohan Rupnaryayan Pathak who

gave his signature in my presence

Mohan Rupnaryayan Pathak

A.I.C.

civil court B4291

- 752/2000 24-3-2014



प्राप्ति

। शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी-

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी-

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी-

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी-

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस डेया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

६. शपथ पत्र के पारा ३ में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... 9546185944
..... 9546185699

मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है..... dr.patelk44@gmail.com

७. मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... No

८. शपथ पत्र के पारा ८ में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।